न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/78)

निर्णय दिनांकः– 4-11-25

1. श्रीमती कोजी पत्नी रमजान खां
2. सादक
3. सामू खां
4. सायरा
5. मैना

पिसरान रमजान जाति मुसलमान निवासी झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–07–2024
उपखण्ड़ अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी कोलायत के आदेश दिनांक 11–07–2024 जिसके द्वारा अपीलांट् का वाद निरस्त किया गया के के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि यह कि अपीलार्थीगण ग्राम झझू तहसील कोलायत के निवासी है व काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। अपीलार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम झझू में खसरा नंबर 828/330 मिन में 75 बीघा स्थित है। वादगत कृषि भूमि अपीलार्थीगण के पति/पिता रमजानखां के भूमिहीन आवंटन हेतू राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1956 के तहत आवेदन दिया जिस समय आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर द्वारा अपीलार्थीगण के पति / पिता श्री रमजानखां की भूमि आवंटन की पात्रता की जांच की जाकर ग्राम झझू में खसरा नंबर 828/330 की कुल तादादी 260.03 बीघा में से 75 बीघा भूमि का 5 साला आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के उपरोक्त आदेश की पालना में आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन नियमों के नियम 14 (क) के तहत आवंटन आदेश पट्टा जारी किया गया है। तथा अपीलांट के पक्ष में सम्वत 2020 में मौके पर कब्जा देकर राजस्व अभिलेखों में अंकन कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि आवंटन किये जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का भौतिक कब्जा दे दिया व राजस्व अभिलेखों में अंकन करने का आश्वासन दिया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261 की उपधारा 2 व सपठित धारा 101 के तहत हल्का को भूमि आवंटन का नामान्तरकरण दर्ज करना था जो नहीं किये जाने पर अपीलार्थीगण ने कार्यवाही की तो समस्या समाधान शिविर दिनांक 20.06.1992 को वादगत भूमि आवंटन का नियमतिकरण कर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने के आदेश दिये गये ह। उक्त आदेश की पालना भी हल्का पटवारी द्वारा नही किया गया। दिनांक 20.10.2000 को हल्का पटवारी ने वादगत भूमि राजस्व अभिलखों में राजकीय भूमि होने व बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलार्थीगण ने व्यथित होकर नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, कोलायत के समक्ष पेश किया जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने दिनांक 11.06.2017 को निरस्त कर दिया। अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 11.06.2017 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की गई। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलाण्टान की अपील संख्या 86/2018 अनुवानी श्रीमती कोजी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

27.11.2019 को स्वीकार की जाकर प्रतिप्रेषित कर निर्देश प्रदान किये कि अधिनस्थ न्यायालय वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति की रिर्पोट प्राप्त करते हुवे व अपीलाण्टस को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुवे व दावे की विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुवे प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

रिमाण्ड प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर आगामी पेशी दिनांक 21.01.2021 नियत की गई। दिनांक 16.03.2023 को स्टेट की ओर से जवाब व मौका रिर्पोट पेश हुई। स्टेट की ओर से प्रस्तुत रिर्पोट अनुसार ग्राम झझू के गत खसरा नंबर 330 के नये खसरा नंबर 747 में 4.49 हैक्टर, खसरा नंबर 748 में 4.45 हैक्टर, खसरा नंबर 1777/748 में 5.15 बीघा, खसरा नंबर 753 में 7.50 हैक्टर बने है। उपरोक्त रिर्पोट में यह माना गया है कि खसरा नंबर 747 में 4.49 हैक्टर भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज है व कब्जा है। खसरा नंबर 448 रकबा 4.45 हैक्टर, खसरा नंबर 1777/748 में 5.15 हैक्टर पर कब्जा है' खसरा नंबर 753 में 7.50 हैक्टर आराजी राज है। इस प्रकार अपीलार्थीगण का वादगत भूमि 14.09 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलार्थीगण को कुल 75 बीघा भूमि आवंटन हुई तथा उसी अनुसार मौका पर कब्जा काश्त है। चूंकि मौका रिर्पोट अनुसार मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त स्टेट द्वारा स्वीकार किया गया है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना होने से तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य वादी पेश किये गये। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 16.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 13 नियम 1, 6 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब स्टेट व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद को निर्णित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया मगर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। दिनांक 16.03.2023 से दिनांक 11.07.2024 तक पत्रावली वास्ते निर्णय की स्टेज पर चली। तथा दिनांक 11.07.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई सबूत का कोई अवसर दिये, सरासर एकतरफा तौर पर वाद निरस्त कर दिया जो माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुवे पारित किया गया है तथा कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किय कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा अपीलार्थीगण का वाद इस आधार पर निरस्त किया कि आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की केवल सम्बत 2020 से 2024 की खसरा गिरदावरी पेश की है। यह खसरा गिरदावरी स्वतंत्र रूप से यह सिद्ध नहीं करती है कि वादी इसका आवंटी रहा थ।। हालांकि इस वाद के निस्तारण के अन्य बिन्दू भी है लेकिन उन सब पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और इसी आधार पर वाद खारिज किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात को निर्णित किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय/डिकी पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रस्तुत स्टेट रिर्पोट का अवलोकन व विवेचन तक नहीं किया गया। उक्त रिर्पोट अनुसार वादगत भूमि अपीलार्थीगण के नाम 4.49 हैक्टर भूमि दर्ज अभिलेख है व कुल 14.09 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है। आराजी मुतनाजा पर अपीलार्थीगण का विधिवत कब्जा काश्त होते हुवे भी अपीलाधीन निर्णय/डिकी पारित किया गया है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन मात्र से कि इस वाद के निरस्तीकरण के अन्य बिन्दू भी है. से ही साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय की मन्शा मात्र वाद को खारिज करने की रही है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में निर्देश दिये थे कि दावे की विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुवे प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन मात्र से साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद का तनकीवार निस्तारण नहीं किया और अपने ही स्तर पर वाद सरसरी तौर पर निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोलायत दिनांक 11–07–2024 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने कभी भी प्रार्थीगण/अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई सबूत का कोई अवसर नहीं दिया। तमाम कार्यवाही सरासर एकतरफा तौर पर बाला बाला ही की गई है जिससे प्रार्थीगण को आदेश अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 09.01.2024 को हल्का पटवारी आराजी मुतनाजा पर आये वा प्रार्थी को आराजी मुतनाजा का कब्जा छोडने को कहा तो वे नाराज हो गये तथा वाद के खारिज होने का कथन कर जबरन बेदखल करने की धमकी दी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिस पर प्रार्थीगण ने उसी दिन कोलायत आकर जानकारी ली तो वाद के खारिज होने की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतू आवेदन दे दिया। नकल बाद तैयारी दिनांक 16.01.2024 को जारी की गई है।प्रार्थीगण ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है। देरी इल्म के अभाव में हुई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से सादर निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–07–2024 के विरूद्ध अपील दिनांक 20–01–2025 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ में धारा 5 मियादं अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट ने जान बूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं की जगह गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। विधि की भी यही मंशा है कि केवल मात्र तकनीकी बिन्दु अथवा पक्षकार की अज्ञानता में कोई न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–06–2017 को वाद वादी आधारहीन व बॉगस मानकर खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात् अपीलांट द्वारा अपील करने पर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–07–2024 द्वारा साक्ष्यो के अभाव में अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी द्वारा वाद के अभिकथनो में स्वयं को अपीलाधीन भूमि का आवंटी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा व चिर निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति अथवा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट को आवंटित हुई हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार/पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गत खसरा नम्बर 330 से बने नये खसरा नम्बर 1777/748 तादादी 5.15 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 753 रकबा 7.50 हैक्टर भूमि अराजीराज भूमि दर्ज है। गत खसरा नम्बर 330 से बने नये खसरा नम्बर 748 तादादी 4.45 हैक्टर भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में मोनू पुत्र रघूवीर सिंह रघुवीर सिंह पोचुराम जाति अहीर साकिन कर्मगढ़, जिद (हरियाणा) तथा रेवन्तराम पुत्र किसनाराम जाति जाट के नाम से दर्ज है। जबकि इस सम्पूर्ण भूमि पर अपीलांट काबिज है। अपीलांट इस सरकारी व अन्य खातेदारो की भूमि पर किस विधिक हैसियत से काबिज है इस संबंध में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे है। किसी अन्य खातेदार की भूमि पर काबिज होने मात्र से अथवा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी अपीलांट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

अपीलांट सरकारी भूमि पर लंबे समय से काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11–06–2017 व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–07–2024 द्वारा अपीलांट का इस भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा खारिज किया जा चुका है। अपीलांट के पास ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा सबूत नही है जिससे वह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आराजी में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव में अपीलांट/वादी के आधारहीन दावे को खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत का निर्णय दिनांक 11–07–2024 यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार कोलायत को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को प्रेषित की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 4-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर